FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

महेन्द्र सिंह व अन्य **बनाम्** दीपसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – 151, 152 व 153 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या – C/23/2026 **जीसीएमएस नं** 2026/143

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2026	प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बांवरला द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 सी.पी.सी. का बाबत् प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2024 की वंशावली में शुद्धि करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र वास्ते बहस व उचित आदेश हेतु दिनांक 09.06.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
09.06.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ''उपरोक्त अनवान् के वाद में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.05.2024 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 19.09.2025 को अंतिम डिक्री पारित की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2024 को पारित करते समय सद्भाविक भूल व टंकणीय त्रुटि से निर्णय दिनांक 27.05.2024 के पृष्ठ संख्या 02 पर बिन्दु संख्या 02 में वर्णित वंशावली में स्व. रूपसिंह के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 मगसिंह का नाम टंकणीय त्रुटि से मगसिंह न लिखकर मग्रसिंह लिख दिया गया है, जबकि वास्तविक नाम मग्रसिंह न होकर मगसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह है। इसी प्रकार से उक्त पृष्ठ संख्या 02 पर बिन्दु संख्या 02 में ही वादी संख्या 02 से 03 के पिता व वादीनी संख्या 04 के पति मेघसिंह का नाम भी टंकणीय त्रुटिवश मेघसिंह न लिखकर महेन्द्र सिंह अंकित किया गया है। जबकि वास्तविक नाम महेन्द्रसिंह न होकर मेघसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह है। हाल ही में मई 2026 में तहसीलदार जोधपुर के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री की पालना सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी व भू.अभि.नि. द्वारा यह बताया गया कि न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में शुद्धि करवाने के पश्चात् ही निर्णय व डिक्री की पालना की जानी है। अतः उपरोक्तानुसार वर्णित वर्तनी की अशुद्धि को शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 के पृष्ठ संख्या 02 पर बिन्दु संख्या 02 में वर्णित वंशावली में स्व. रूपसिंह के पुत्र का नाम मग्रसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम मगसिंह एवं स्व. गणपतसिंह के पुत्र का नाम महेन्द्रसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम मेघसिंह किया जाने का आदेश पारित किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन कर मूल पत्रावली की मिसल तलब कर मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर आया है कि न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2024 के पृष्ठ संख्या 02 के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित वंशावली में मग्रसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह अंकित किया गया है। उक्त अंकन सद्भाविक व टंकणीय त्रुटिवश होना प्रतीत होता है। उक्त संशोधन किये जाने से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। अतः इस स्तर पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उक्त **'मग्रसिंह'** को **'मगसिंह'** एवं **'महेन्द्रसिंह'** को **'मेघसिंह'** के नाम से शुद्धि कर संशोधित आदेश पारित किया जाता हैं कि भविष्य में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2024 के पृष्ठ संख्या 02 के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित वंशावली में **मग्रसिंह** पुत्र स्व. रूपसिंह के स्थान पर **मगसिंह** तथा **महेन्द्रसिंह** पुत्र स्व. गणपतसिंह के स्थान पर **मेघसिंह** पढा व समझा जावे। पत्रावली इसी कदर फैसर शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते जोधपुर